

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-174/1/सा.प्र.वि./2022/2250

भिलाई, दिनांक 14-2-2022

// संशोधित आदेश //

श्री चंद्रशेखर वर्मा आ० श्री छोटकू राम, भृत्य की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 01.03.2022 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार पूर्व माह की अंतिम तिथि दिनांक 28.02.2022 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ-174/1/सा.प्र.वि./2022/2168 दिनांक 03.02.2022 जारी किया गया था, किन्तु श्री चंद्रशेखर वर्मा, भृत्य का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/एफ-174/1/सा.प्र.वि./वि.वि.ध/2022/2194 दिनांक 07.02.2022 के द्वारा भृत्य से दफ्तरी के नियमित पद पर पदोन्नत किया गया है।

अतः उक्त सेवानिवृत्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चंद्रशेखर वर्मा आ० श्री छोटकू राम, दफ्तरी नगर पालिक निगम, भिलाई को दिनांक 28.02.2022 अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 14-2-2022

पृ.क्र./एफ-174/1/सा.प्र.वि./2022/2250
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. श्री चंद्रशेखर वर्मा आ० श्री छोटकू राम, दफ्तरी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई